

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 218–2021/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2021 (PAUSA 8, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसम्बर, 2021

संख्या 72/जीएसटी—2.—हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवाकर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थातु:—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021,कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये नियम प्रथम दिसंबर, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017में, प्ररुप जीएसटी डीआरसी-03 में, -
 - (क) शीर्ष में, "किया गया भुगतान" शब्दों के पश्चात्, "या प्ररुप जीएसटी डीआरसी—01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;
 - (ख) मद 3 के सामने, खाना (3) में, "लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्दों के स्थान पर, "लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी–01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर–1 और प्ररुप जीएसटीआर–3ख), मिलान न होना (प्ररुप जीएसटीआर–2ख और प्ररुपजीएसटीआर–3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ग) मद 5 के सामने, खाना (1) में, "यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर भुगतानकिया गया है", शब्द और अंकों के पश्चात्, ",संवीक्षा, प्ररुप जीएसटी डीआरसी—01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)", चिह्न शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(4286)

(घ) क्रम संख्या ७ के नीचे, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''क्रम संख्या	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओएस)	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि लागू हो	फीस	अन्य	कुल	उपयोग किए गए खाते (नकद / प्रत्यय)	विकलन प्रविष्टि संख्या	विकलन प्रविष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												l" l

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2021

No. 72/GST-2.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (TenthAmendment) Rules, 2021.
 - (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st December, 2021.
- 2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017,in FORM GST DRC-03,
 - (a) in the heading, after the words "or statement", the words, letters and figures "or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A" shall be inserted;
 - (b) against item 3, in column (3), for the word and letters "Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)", the words, letters, figures and brackets "Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, Mismatch (Form GSTR-1and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)" shall be substituted;
 - (c) against item 5, in column (1), after the word and figures "within 30 days of its issue", the words, letters, figures and brackets ", scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, others (specify)" shall be inserted;
 - (d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

"Serial Number	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Fee	Others	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												.".

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.